महिला एवं बाल विकास विभाग,हरियाणा
महिलाओं हेतु हरियाणा राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार

1. ***इन्दिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार***

पात्रताः– *जिस महिला ने निम्न क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य किया होः–*

- *कठिन परिस्थितियों में विशेषतः महिलाओं और बच्चों के लिए सहायता व पुनर्वास कार्य जैसे वंचित महिलाओं व बच्चों, विधवाओं, जुल्म की शिकार महिलाओं तथा बच्चों और वृद्व महिलाओं आदि के लिए सहायता व पुनर्वास कार्य।*
- *स्वयं सहायता समूह/महिला सशक्तिकरण पहलूओं को प्रोत्साहित करना।*
- *अपना स्वयं का बिजनेस/उद्योग स्थापित करना तथा उद्यमिता के अलावा कम समय में महिलाओं के विकास में योगदान किया हो।*
- *सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य/उपलब्धी।*

पुरस्कार राशिः– 1,50,000/–रूपये और प्रशस्ति–पत्र।

2– ***कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार***

पात्रताः जिस महिला ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर अद्वितीय साहस का कार्य किया हो ।
पुरस्कार राशिः– 1,00,000/–रूपये और प्रशस्ति–पत्र।

3– ***बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार***

पात्रताः– यह पुरस्कार उस महिला पंचायत प्रधान (लीडर) को दिया जायेगा, जिसने निम्न क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुकरणीय कार्य किया होः–

- *महिला साक्षरता*
- *स्वास्थय एंव पोषण।*
- *शिक्षा का वैश्वीकरण।*
- *स्वच्छता, जल तथा अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य निर्धारक*
- *सामाजिक लेखा।*
- *पर्यावरण सुरक्षा।*
- *कठिन श्रम को कम करने की टैक्नोलॉजी को बढावा देने सहित कृषि व ग्रामीण उद्योग में महिलाओ की सहा*
- *महिलाओ/कमजोर वर्ग के प्रति अपराध/जघन्य अपराधों की रोकधाम।*
- *सामुदायिक भागीदारी।*
- *कन्या भ्रूण–हत्या की रोकथाम और लिंग अनुपात में सुधार।*
- *बाल–विवाह की रोकथाम।*
- *महिला सशक्तिकरण।*
- *महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को रोकना।*

पुरस्कार राशिः– 1,00,000/– रूपये और प्रशस्ति–पत्र।

4. ***लाईफटाईम अचीवर्स अवार्ड***

पात्रताः–

- *60 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला।*
- *कोई महिला जिसने अपने जीवन में विशेषतः उत्कृष्ट प्रशासनिक कुशलता, कैरियर, स्फीयर/प्रोफैशन, लीडरशीप क्वालिटी, साहसिक , सजृनात्मक कार्यो में उत्कृष्ट स्थान अर्जित किया हो।*
- *हस्त कोशल और व्यावसायिक निष्ठा दर्शाकर समाज के समक्ष एक आदर्श या उदाहरण पेश किया हो और जिसने अपना पूरा जीवन समाज/राष्ट्र को समर्पित कर दिया हो।*

पुरस्कार राशिः– 51,000/–रूपये और प्रशस्ति–पत्र।

5. ***ए. एन.एम./नर्स/महिला एम.पी.डब्लयू (पुरस्कार की सं. 2)***

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्तुत के अनुसार अपनी सामान्य डयूटी से अधिक कार्य कर अनुकरणीय उपलब्धि वाली महिला।

6. ***महिला खिलाडी***

कैलेडर वर्ष में खेल एंव युवा मामले विभाग द्वारा संस्तुत राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धी प्राप्त करने वाली महिला खिलाड़ी।

7. ***साक्षर महिला समूह सदस्य (पुरस्कार की सं. 2)***

जिसने जिला कार्यक्रम अधिकारियों (आई0सी0डी0एस0) द्वारा संस्तुत साक्षरता क्षेत्र, स्वयं सहायता समूह के गठन व सशक्तिकरण, जागरूकता अभियान, कन्या भ्रूण हत्या तथा बाल विवाह के रोकथाम, टीकाकरण और न्यूनता पूर्ति पोषण कार्यक्रम के क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य किया हो।

8– सरकारी कर्मचारी (पुरस्कार की सं 2)

जिसने सामान्य डयूटी और जिम्मेवारी से आगे बढ़कर स्वैच्छिक रूप से महिलाओं के हित के लिए विशेषतः नैतिक साहस के मामले में अनुकरणीय कार्य और उपलब्धियॉ प्राप्त की हों ।

9. सामाजिक कार्यकर्ता (पुरस्कार की सं.2)

पुरस्कार –1

ए) गत 5 वर्षो में महिला कल्याण हेतु कार्यरत।
बी) महिला कल्याण के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया हो।
सी) हरियाणा में जन्मी।

पुरस्कार–2

ए) .हरियाणा से बाहर जन्मी, परन्तु हरियाणा में महिलाओं के हित के लिए कार्यरत महिला।

10. महिला उद्यमी (पुरस्कार की सं 2)

ए) जिसने अपना व्यापार/उद्योग स्थापित कर महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया हो।
बी) महिला विकास के लिए योगदान किया हो।

11. संरक्षण एवं प्रतिषेध अधिकारी

वर्ष में अधिकतर बाल विवाह रोकन के लिए

नोटः– क0स0 5 से 11 हेतु पुरस्कार राशि 21,000/–रूपये व प्रशस्ति –पत्र है।
नामांकन का ढ़ंग :– सम्पूर्ण बायाडाटा सहित किए गए योगदान की विस्तृत जानकारी के साथ नामांकन सम्बन्धित उपायुक्त/जिला कार्यक्रम अधिकारी डब्ल्यू0सी0डी0, के कार्यालय में भेजे जा सकते हैं । जो जिला स्तरीय रैकमैंडिंग कमेटी संस्तुत के साथ इन नामांकनों को महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा को प्रेषित करेंगे।
मूल्यांकन एवं चयनः– इस उद्देश्य के लिए गठित एक राज्य स्तरीय चयन समिति प्राप्त किये गये नामांकनों में से पुरस्कार पाने वाली महिलाओं का चयन करेंगी। इन नामांकनों को निम्न आधार पर मूल्यांकित किया जाएगाः–

- नामांकित महिला (नामिनी) हरियाणा की निवासी/हरियाणा में जन्मी होनी चाहिए और वह हरियाणा में महिलाओं के हित के लिए कार्य कर रही हो।
- सम्बन्धित क्षेत्र में नामिनी की उपलब्धि स्पष्ट एवं दस्तावेजों के साथ होनी चाहिए।
- नामिनी नामांकन की तिथि पर जीवित होनी चाहिए।
- नामिनी की उपलब्धि सत्यापित होनी चाहिए तथा यह उद्देश्य के मूल्यांकन के अधीन होगा।
- प्राथमिकता उन महिलाओं को दी जाएगी जो कठिन संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बाद जीवन की मुख्य धारा में आगे आई हों।
- चयन का एक मात्र मापदण्ड महिलाओं के हित के लिए प्रदर्शन और उसके सम्पर्ण प्रतिबद्वता के आधार पर होगा।
- नामांकित महिला निर्धारित आवेदन प्रारूप पर आवेदन करें और इस उद्घोषणा के साथ एक हल्फनामा की उसके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नही है अर्थात किसी फोर्म/विभाग/कोर्ट इत्यादि में कोई जॉच नही है और यदि भविष्य में महिला के खिलाफ कोई भी गलत जानकारी/अव्यवस्था पाई जाती है, तो उसे पुरस्कार व राशि सरकार को वापिस लौटानी होगी।
- हल्फनामे सहित आवेदन प्रारूप को हमारी वैबसाईट www.wcdhry.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 31–8–2016 है।

प्रार्थी आपना आवेदन–पत्र ऑन लाईन विभाग की वेबसाइट dgwcdhry@gmail.com पर भेज सकता है।

निदेशक,
महिला एंव बाल विकास विभाग, हरियाणा
बेज नं. 15–20, सैक्टर–4, पॉकेट–2, पंचकूला
फोन नं. 0172–2560349, ई–मेलः wcd.dwc@gmail.com

WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, HARYANA

HARYANA STATE LEVEL AWARDS FOR WOMEN

1. Indira Gandhi Mahila Shakti Award:- A woman who has done exemplary work in following areas: -

- Support and rehabilitation of women and children in especially difficult circumstances like destitute women and children, widows, victims of atrocities and conflict, disabled women and children, aged women etc.
- Promoting self-help group/ women empowerment initiatives.
- Established their own business/ industry and have contributed to the development of women in small span of time besides entrepreneurship.
- Exemplary work/ achievement in public service.

Award Money - Rs. 1.50 lac and a Citation

2. Kalpna Chawla Shaurya Award

A woman who has shown exemplary courage at the risk of their own life.

Award Money - Rs. 1.00 lac and a Citation.

3. Bahin Shanno Devi Panchayti Raj Award

The award would be given to the woman panchayat leader who have done exemplary work for the empowerment of women in any of the following areas: -

- Female literacy
- Health and Nutrition
- Universalization of education
- Sanitation, water, hygiene and other key health determinants
- Social audit
- Women empowerment
- Prevention of domestic violence against women
- Prevention of crime/atrocities against women/weaker section
- Community mobilization Prevention of female foeticide and improving sex ratio
- Prevention of child marriages
- Environment protection
- Support to women in agriculture and rural industry including promotion of technology to reduce drudgery.

Award Money - Rs. 1.00 lac and a citation

4 Life time achievers award

- Woman of 60 years old or above.
- Any individual who have excelled in any such field in their life especially in outstanding administrative skills, career, sphere/profession, leadership quality, courage, creative work.
- Set up a model or example before the society by showing dexterity and professional integrity and dedicating whole life to the society/ Nation.

Award Money - Rs. 51,000/- a citation

5. ANMs/ Nurses/ Female MPW (No. of awards -2)

Who have done exemplary achievement beyond their normal duty as recommended by Health Department.

6. Sports Women

Outstanding women achievers at National and International level as recommended by Sports & Youth Affairs Deptt. in the calendar year.

7. Sakshar Mahila Samooh Members (No. of awards -2)

Women who have done exemplary work in the field of literacy, self help group formation and strengthening, awareness generation, preventing female foeticide and child marriage, immunization and supplementary nutrition programme recommended by Distt. Programme Officers (ICDS).

8. Government Employees (No. of awards -2)

Women who have done exemplary work especially cases of moral courage for the cause of women and the achievement is voluntary beyond the normal duty and responsibilities.

9.Social Workers (No. of awards -2)

Award -I	Award –II
(a) Working for the women welfare for last 5 years (b) Has good performance in the field of Women Welfare. (c) Born in Haryana	(a) Born out of Haryana but working for the cause of women in Haryan

10. Women Entrepreneurs (No. of awards -2)

(a) Who have shown exemplary work in the field of women entrepreneurship by establishing their own business/ industries.

(b) Have contributed to development of women

11. Prohibition cum Protection Officer

For stopping maximum number of child marriages in the year.

Note:- From Sr. No. 5 to 11, the Award money is Rs. 21,000/- and a citation.

Mode of nomination

Nomination along with detail of contribution made, with complete bio data may be sent to the office of the concerned Deputy Commissioner/ Distt. Programme Officer WCD. Who would forward the nomination with recommendation of District Level Recommending Committee to Women and Child Development Department, Haryana.

Evaluation and selection

A State Level Selection Committee constituted for the purpose, shall decide the awardees from amongst the nomination received. The Nomination shall be evaluated on the following basis:

- Nominee should be a resident of Haryana/ born in Haryana and working for the cause of women in Haryana.
- The achievement of the nominee in the relevant field should be clear and well documented.
- Nominee should be alive on the date of nomination.
- The achievement of the nominee should be verified and subject to objective appraisals.
- Preference should be given to women who have come up in mainstream of life after a great deal of struggle and adversity.
- The sole criteria for the selection would be performance and her dedication for the cause of women
- Nominee should apply on prescribed application performa and one affidavit with the declaration that there is nothing adverse against her i.e. for enquiry in any forum/department/court etc and in case of any wrong information/mismanagement found in future, the award and money would be refunded to Government.
- Application Performa along with affidavit can be downloaded from our website. www.wcdhry.gov.in
- Last date for all applications is 31.08.2016.

Applicant can apply online on the website dgwcdhry@gmail.com of Department.

Director
Women and Child Development Department, Haryana.
Bays No. 15-20, Sec-4 Pocket-2, Ph. 0172-2560349,
E-Mail:- wcd.dwc@gmail.com